

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-03, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष (म0) के अनुमोदन दिनांक 19.02.2018 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु0 लाख में)	लेखा शीर्षक सं0
1-	095184	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-3 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 672 नग जी+3 चार मंजिले फ्लैट्स का निर्माण कार्य।	3171.84	715/04/17-18

- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासकीय से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नं0 के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विगति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य की लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमत्त नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 22 माह में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जाये एवं तदनुसार ही फ्लैटों भवनों का निर्माण कराया जाये।

(एस0के0रायतानी)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 20.2.2018

पृ0सं0:


022

/ए0पी0-1/2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अ0आ0आ0 एवं सचिव/मुख्य अभि.उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/प्रोजेक्ट वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता(पी-2)/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-03, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- गार्ड फाइल हेतु।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



संख्या

/ए0पी0-1/2018

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट वृत्त, लखनऊ के पत्रांक-19/पी0सी0/2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :-

1- कार्य का विवरण

अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-3 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 672 नग (जी-3) द्वार सुप्रसिद्धे 252

फ्लैट्स

का निर्माण कार्य।

2 आई0डी0कोड सं0

095184

3-अ-प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ

अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-822/ए0पी0-1/2018 दिनांक 20.02.2018

ब-कार्य की लागत

रु0 3171.84 लाख

4- तकनीकी स्वीकृति की लागत

रु0 3171.84 लाख

5- लेखा शीर्षक संख्या

715/04/17-18

प्रतिबन्ध

- कार्यों का सम्पादन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता का होगा।
- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में निर्धारित अवधि 22 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता/विशिष्टियों का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।
- प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेश (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये।
- तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जायें एवं तदनुसार ही फ्लैट्स का निर्माण कराया जाये।
- सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत डिजाइन प्रस्तावित स्थल की 16 टन प्रति वर्ग मी0 भूमि धारक क्षमता (Safe Bearing Capacity) मानकर की गयी है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि भूकम्पीय जोन-3 के सभी प्राविधान परिकल्पना में कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रस्तावित स्थल के स्वायल टेस्टिंग कराने के पश्चात प्राप्त भूमि धारक क्षमता (Safe Bearing Capacity) के आधार पर डिजाइन कराकर सक्षम स्तर से स्वीकृति/वेट कराते हुए एवं प्रस्तावित फ्लैट्सों हेतु अग्निशमन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करके तदनुसार ही कार्य कराया जाय।

(मो0 सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक 24-2-2018

पृ0सं0: 920 /ए0पी0-1/2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)/प्रोजेक्ट वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता(पी0-2)/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-03, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

Alt-c-1

322

मुख्य अभियन्ता